पर्चा डिक्री

यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

। संख्या -385/2024

न :

1. जसवीरसिह पुत्र गुरतेजसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लखवीरसिह पुत्र गुरतेज सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

गुरतेज सिह पुत्र जंगीर सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

सुखजीत कौर पत्नी गुरतेज सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

परमजीत कौर पुत्री गुरतेजसिह पत्नी राजेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः-1 अधिवकता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :-वादीगण

2 अधिवक्ता करनैलसिह :-प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 23/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं0 3 जीजीआर के खाता सं0 30/37 में कुल 1.265 है0 नहरी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा, इसी चक 3 जीजीआर के खाता सं0 31/91 में कुल 4.262 है0 नहरी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के 1279/6393 हिस्सा की भूमि, इसी चक 3 जीजीआर के खाता सं0 33/33 का कुल रकवा 5.060 है0 नहरी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/40 हिस्सा, इसी चक 3 जीजीआर के खातासं0 34/35 में कुल 0.506 है0 मे प्रतिवादी स0 1 का 1/5 हिस्सा, इसी चक 3 जीजीआर के खाता संख्या 202/32 में कुल 1.265 है0 नहरी मय गै0मु0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा की भूमि, इसी चक 3 जीजीआर के खाता सं0 90/227 में कुल 17.963 है0 नहरी मय गै0मु0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 245/35926 हिस्सा की भूमि तथा चक नं0 8 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 52/18 में

Scanned with CamScanner

कुल 2.277 है0 नहरी मय गै0मु0 आराजी में प्रतिवादी सं0 1 का 1/10 हिस्सा की भूमि के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक 3 जीजीआर के खाता सं0 30/37, 31/91, 33/33, 34/35, 202/32, 90/227 तथा चक 8 एस.एल.डबल्यू. के खाता सं0 52/18 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner